तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29/8/25	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी प्रा०पत्र प्रार्थी उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर न्यायोचित प्रतीत होने से तहसीलदार तालेड़ा की रिपोर्ट एवं दस्तावेज के परिपेक्ष में स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया, मि. किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बादतामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
	[signature]

न्यायालय श्रीमान उपख

प्रार्थना पत्र संख्या –

1. रामस्वरोष उर्फ भरोसा

लाम्बापीपल तहसील त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
347/प्रा0पत्र/2025	25.04.2025	29.08.2025

रामभरोष उर्फ भरोसा उम्र 68 वर्ष पुत्र खाना जाति बलाई पैशा कृषि निवासी ग्राम लाम्बापीपल तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

राज० राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

अप्रार्थी

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थीः– श्री ग्यारसीलाल गुर्जर

अधिवक्ता अप्रार्थीः– पेरोकार सरकार

– : : निर्णय : : –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि भुमि वाके ग्राम लाम्बापीपल पटवार मण्डल रघुनाथपुरा भूअनि. तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि के खसरा संख्या 272 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 375 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 0.5018 हैक्टे. किता 5 कुल रकबा 1.8859 हैक्टेयर जिसमे 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि मे प्रार्थी का नाम भरोसा पुत्र खाना जाति बलाई राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि प्रार्थी के समस्त लोक दस्तावेज मे प्रार्थी का नाम रामभरोष पुत्र खाना लिखा हुआ है। प्रार्थी का नाम भरोसा के स्थान पर रामभरोष नाम सही है । प्रार्थी ने तहसीलदार तालेडा से प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम भरोसा के स्थान पर रामभरोष दर्ज करने का निवेदन किया। परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा आज दिन तक उक्त संशोधन करने बाबत कोई कार्यवाही अमल मे नहीं लाई गई जिस कारण प्रार्थी को अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार की उपरोक्त पर लोन प्राप्त करने कृषि भूमि का विकास करने हस्तांतरण करने मे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से नाम भरोसा के स्थान पुनः रामभरोष दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार तालेड़ा के विरूद्ध इन्द्राज दुरूस्त करने के अधिकारी है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम भरोसा के स्थान पर रामभरोष दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार तालेडा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रेकार्ड खाता सं0 97 खसरा संख्या 272 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 375 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 0.5018 हैक्टे. किता 5 कुल रकबा 1.8859 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बापीपल पटवार हल्का रघुनाथपुरा में खातेदार भरोसा पुत्र खाना हिस्सा 1/4 अंकित है। मौका अनुसार ग्राम लाम्बापीपल में जांच की गई एवं प्रार्थी के दस्तावेज की जांच की गई। मुताबिक दस्तावेज प्रार्थी का नाम रामभरोष दर्ज है। मुताबिक ग्रामवासियान् इस नाम और वल्दियत का अन्य कोई पुरूष इस ग्राम में निवास नही करता है। ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। तहसीलदार तालेडा ने नाम संशोधन की अनुशंषा की है। पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार भरोसा को रामभरोष करने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया एवं अवगत कराया कि राजस्व रेकार्ड में घर वालो एवं राजस्व कार्मिको के द्वारा सहवन व गलती से प्रार्थी का नाम घर में बोले जाने वाले नाम भरोसा ही अंकित

Scanned with OKEN Scanner

दिया था जो कि आज तक राजस्व रेकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिसको दुरूस्त किया जाना प्रार्थी के हित में एवं न्याय के हित में अति आवश्यक है।

पेरोकार सरकार द्वारा रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार नाम संशोधन किये जाने की अनुशंषा की गई।

हमने बहस वकील प्रार्थी सुनी तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2076 खाता सं0 97 खसरा संख्या 272 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 375 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 0.5018 हैक्टे. किता 5 कुल रकबा 1.8859 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बापीपल पटवार हल्का रघुनाथपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबन्दी में भरोसा पुत्र खाना ही अंकित है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड सं0 4616 7241 6310, राशनकार्ड सं0 200000739919,बैंक ऑफ बडोदा की पासबुक खाता सं0 01440100002763 व मतदाता पहचान पत्र का अवलोकन करने एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि भरोसा एवं रामभरोष एक ही व्यक्ति है एवं दौराने रेकार्ड में अमल दरामद प्रार्थी के परिवारजन द्वारा प्रार्थी का नाम बोलते नाम पर भरोसा अंकित करवा दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम रामभरोष था। मौका रिपोर्ट अनुसार भी भरोसा एवं रामभरोष नाम का ग्राम लाम्बापीपल में एक ही व्यक्ति होना अंकित किया गया है जिसकी वल्दियत एक हो। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड,एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में 2076 खाता सं0 नया 97 पुराना 91 खसरा संख्या 272 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 365 रकबा 0.2833 हैक्टेयर, खसरा संख्या 375 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, खसरा संख्या 376 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 43 रकबा 0.5018 हैक्टे. किता 5 कुल रकबा 1.8859 हैक्टेयर वाके ग्राम लाम्बापीपल पटवार हल्का रघुनाथपुरा मे प्रार्थी के नाम भरोसा पुत्र खाना के स्थान पर भरोसा उर्फ रामभरोस आ0 खाना संशोधित किया जावे, शेष इन्द्राज बदस्तुर रखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner